संख्या-14/2015/694/सैंतीस-2-2015-1(11)/2014

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 मार्च, 2015

विषयः- **पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों को 02 वर्षीय प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-176/स्था0-2/1-ख/13(2101)/2013 भाग-2, दि0-17.03.2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0-75/सैंतीस-2-2015-1(11)/14टीसी, दि0-20.01.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन' में प्राविधानित रू0-161.85 लाख के सापेक्ष दिनांक 01-11-2014 से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1080 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु रू0-54.00 लाख (रूपये चौवन लाख मात्र) की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.94 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-14/2015/694(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/ संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन निदेशालय, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in